न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार **आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या :— 76 / 2021

प्रार्थीगण

1. मूला पुत्र खेता
2. पोकर पुत्र खेता
   जाति मेघवंशी निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम तरमीम दुरस्त करने</u>

उपस्थित :

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 22/08/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती विप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का पुश्तैनी खातेदारी का खेत ग्राम राणासर खुर्द में खसरा नम्बर 116 रकबा 19—11 बीघा व खसरा नम्बर 315 / 165 रकबा 2—10 बीघा का आया हुआ जिसके मध्य रास्ता आया है, प्रार्थीगण के खेत के बीच का रकबा 13 बिस्वा इस रास्ता के अधीन है। पश्चिम दिशा में यह रास्ता उपलब्ध होते हुए प्रार्थीगण की आपत्ति के बावजूद सर्वेकर्ताओं ने प्रार्थीगण के उक्त खेत के बीच से नया रास्ता कायम कर दिया, जिससे प्रार्थीगण के खेत के पश्चित दिशा की माठ का रास्ता नकारा हो गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा राणसर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 19—11 बीघा की पश्चिम माठ का समपर्शी तरमीम गेर मुमकिन रास्ता जिसको सडक निर्माण स्थान पर खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 19—11 बीघा में निर्माण स्थान पर तरमीम की [illegible]कॉर्ड दुरूस्ती करने हेतु उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज [illegible] रजिस्टर कर विप्रार्थी [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 05 दिनांक 15.12.2021 प्रस्तुत अवगत कराया कि ग्राम राणासर खुर्द का खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 19—11 बीघा एवं खसरा

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

नम्बर 315/165 रकबा 2—10 बीघा का प्रार्थीगण के नाम खातेदरी में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 116 व 315/165 की भूमि के मध्य नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 118 रकबा 12—12 बीघा किस्म गे.मु. रास्ता अंकित है। उक्त खसरा संख्या118 वक्त बन्दोबस्त से दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 118 परडामर सड़क निर्माण करते समय उक्त खसरे (कटानरास्ते) से हटकरखसरा संख्या 116 में सड़क निर्माण किया गया। वादीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारानिर्मित डामर सडक पर खसरार संख्या 118 कीतरमीम करवाना चाहते हैं, जो कि सारहीन है क्योंकि खसरा संख्या 118 वक्त बन्दोवस्त से दर्ज है। वादीगण का वाद काबिल खारिज है, क्योंकि गे.मु. रास्ता वक्त सेटलमेंन्ट से दर्ज है, जो भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट दर्ज किया गया था, जिसकी तरमीम दुरूस्ती किया जाना सम्भव नहीं है।

बकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि विप्रार्थी भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि उक्त गे. मु. रास्ता वक्त सेटलेन्ट से दर्ज है, जो भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा वक्त सैटलमेंन्ट दर्ज किया गया है, जिसकी तरमीम दुरूस्ती किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त तरमीम करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा कोई भूल अथवा लिपिकीय त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित तरमीम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत शुद्धि किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:41 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी